POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य /प्रेस विज्ञप्ति - दिनाकं 01.10.2025

1. थाना सूरजपुर पुलिस द्वारा मोजर बेयर कम्पनी से व्हाईट कॉपर का कीमती सामान चोरी करने वाले 07 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से व्हाईट कॉपर कुल वजन 589 क्रिलोग्राम (कीमत करीब 05 लाख रुपये), घटना में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो व इनोवा कार बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.10.2025** को **थाना सूरजपुर पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस की सहायता से मोजर बेयर कम्पनी से व्हाईट कॉपर का कीमती सामान चोरी करने वाले अभियुक्त 1.गणेश पटेल पुत्र कांजी पटेल 2.इनामुल्लाह पुत्र मौ0 हुसैन 3.बबलू पुत्र इस्लाम खान 4.रहमत अली पुत्र लियाकत अली 5.शरातुल्ला पुत्र हिदायतुल्ला 6.सलामुल्ला पुत्र शमशाद 7.योगेश पुत्र राजवीर को आशियाना आर्चिड़स गोलचक्कर के पास से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तों के कब्जे से व्हाईट कॉपर कुल वजन 589 क्रिलोग्राम (कीमत करीब 05 लाख रुपये), घटना में प्रयुक्त पिकअप बुलेरो रजि नं0 **MH**46**CU**7439 व इनोवा कार रजि नं0 **MH**02**EZ**6545 बरामद हुयी है।

अभियुक्तों द्वारा बन्द पडी मोजर बेयर कम्पनी में दीवार कूदकर चोरी की गयी, जिसमें अभियुक्तों द्वारा कॉपर का कीमती सामान चोरी किया गया। अभियुक्त उक्त सामान को चोरी करने के बाद बेचने के लिए पिकअप बुलेरो महिन्द्रा गाड़ी में भरकर ले जा रहे थे तथा मौके पर अभियुक्त अपनी अन्य कार इनोवा टोयोटा से आये थे। अभियुक्तों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त दोनो वाहनो को बरामद कर लिया गया है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. गणेश पटेल पुत्र कांजी पटेल निवासी ग्राम डाल, थाना सलूम्बर, जिला सलूम्बर (उदयपुर) राजस्थान वर्तमान पता मंथन रेजीडेंसी, ,थाना कामोटी, जिला मुम्बई महाराष्ट्र उम्र 33 वर्ष।
2. इनामुल्लाह पुत्र मौ0 हुसैन निवासी ग्राम बनकेगांव, थाना खेसरहा, जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 वर्तमान पता कमला रामनपुर मंडी बैंगनवाडी शिवाजी नगर, थाना शिवाजी नगर, मुम्बई महाराष्ट्र उम्र 45 वर्ष।
3. बबलू पुत्र इस्लाम खान निवासी धनधरा, थाना इटवा, जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 वर्तमान पता म्हात्रे बिल्डिंग कमोटे, थाना कमोटे पनवेल नवी मुम्बई महाराष्ट्र उम्र करीब 37 वर्ष।
4. रहमत अली पुत्र लियाकत अली निवासी ग्राम पडरी बाजार थाना कुकुन्दू जिला देवरिया उ0प्र0 वर्तमान पता कल्याण शिवाजी नगर थाना ठाणे जिला मुम्बई महाराष्ट्रा उम्र 30 वर्ष।
5. शरातुल्ला पुत्र हिदायतुल्ला निवासी ग्राम फत्तेपुर थाना बांसी जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 वर्तमान पता योला चाली थाना नासिक कोतवाली जिला नासिक महाराष्ट्र उम्र 35 वर्ष।

6. सलामुल्ला पुत्र शमशाद निवासी ग्राम बनकेगांव थाना खेसरहा जिला सिद्धार्थनगर उ0प्र0 वर्तमान पता चाली गुमण्डी बैंगनवाडी थाना शिवाजीनगर मुम्बई महाराष्ट्र उम्र 30 वर्ष।
7. योगेश पुत्र राजवीर निवासी पिसनारी थाना बिसौली जिला बदांयु वर्तमान पता पूजा कालोनी, थाना लोनी, जिला गाजियाबाद उम्र 22 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0 568/2025 धारा 317(5)/61(2) बीएनएस थाना सूरजपुर, गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. कुल 54 नग व्हाइट कॉपर छोड़े बड़े कुल वजन 589 किग्रा (कीमत करीब 05 लाख रुपये)
2. घटना में प्रयुक्त दो वाहन क्रमश पिकअप बुलेरा महिन्द्रा रजि नं0 **MH**46**CU**7439 व इनोवा कार रजि नं0 **MH**02**EZ**6545

2. थाना सेक्टर-113 पुलिस द्वारा लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से ₹50,000 नकद, 20 मोबाइल फोन, 128 ATM कार्ड, 77 सिमकार्ड, 09 पासबुक, 05 चैकबुक, 03 किट, 07 QR कोड व 01 मोटरसाइकिल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.10.2025** को **थाना सेक्टर-113 पुलिस** द्वारा लोकल इंटेलिजेंस व गोपनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले 02 शातिर अभियुक्त 1.. फैयाज आलम पुत्र शाबिर हुसैन 2. आकाश कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार उपाध्याय को थाना क्षेत्रांतर्गत FNG रोड से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्तो के कब्जे से ₹50,000 नकद, 20 मोबाइल फोन, 128 ATM कार्ड, 77 सिमकार्ड, 09 पासबुक, 05 चैकबुक, 07 QR कोड, 03 किट (03 पासबुक, 4 ATM कार्ड, 04 QR कोड) व 01 मोटरसाइकिल बरामद की गई है।

पूछताछ का विवरण-- गिरफ्तार अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि अभियुक्तगण विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफार्म से भारत के विभिन्न राज्यों के लोगों का डाटा (आधार कार्ड, पैन कार्ड, ई-मेल, मोबाइल नंबर, राज्य आदि) जुटाकर ठगी करते थे। अभियुक्तगण स्वयं को बैंगलोर में स्थित प्रा0लि0 कम्पनी का कर्मचारी होने का बहाना बनाकर लोगों को लोन के लिए कॉल करते, दस्तावेज (आधार, पैन, बैंक स्टेटमेंट) व्हाट्सएप पर मंगाते और रजिस्ट्रेशन फीस (₹299), ECS IN HAND (₹399), इंश्योरेंस व GST (₹2,400–₹3,200) के नाम पर

ऑनलाइन ट्रांसफर कराकर पैसे निकालते थे। अभियुक्तगण लोगों को अकाउंट खुलवाकर सिम भी प्राप्त करते और इनका इस्तेमाल ठगी व यूपीआई ट्रांसफर के लिए करते थे। अभियुक्तों के पास उक्त कंपनी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं था। अभियुक्तों से बरामद फोन की जाँच की गई तो उनके मोबाइल फोन में व्हाट्सएप चैट में सैकड़ों लोगों का डाटा मौजूद था ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

1. फैयाज आलम पुत्र शाबिर हुसैन निवासी ग्राम सलीमापुर, थाना मढौरा, सारन, छपरा (बिहार) वर्तमान पता बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 22 वर्ष।
2. आकाश कुमार पुत्र जितेन्द्र कुमार उपाध्याय निवासी ग्राम सलीमापुर, थाना मढौरा, सारन, छपरा (बिहार) वर्तमान पता बहलोलपुर, थाना सेक्टर-63, गौतमबुद्धनगर, उम्र करीब 21 वर्ष।

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

मु0अ0सं0- 414/2025 धारा 319(2)/318(4)/ 61(2)/317(2)/3(5) बीएनएस व 66(C)/66(D) आईटी एक्ट, थाना सेक्टर-113, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी का विवरण--

1. ₹50,000 नकद
2. 20 मोबाइल फोन
3. 128 ATM कार्ड व 77 सिमकार्ड
4. 09 पासबुक व 05 चैकबुक
5. 07 QR कोड व 03 किट (03 पासबुक, 4 ATM कार्ड, 04 QR कोड)
6. 01 मोटरसाइकिल

3. साइबर क्राइम थाना नोएडा पुलिस द्वारा डिजिटल अरेस्ट कर ₹43,17,000 की ठगी करने वाले गिरोह का एक शातिर अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **01.10.2025** को **साइबर क्राइम थाना नोएडा पुलिस** द्वारा संकलित सूचना के आधार पर कार्यवाही करते हुए वादिनी को डिजिटल अरेस्ट कर ₹43,17,000 की ठगी करने वाले अभियुक्त मदन कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद को जनपद हनुमानगढ़, राजस्थान से **गिरफ्तार** किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से 02 मोबाइल फोन बरामद किए गए है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-- वादिया, निवासी सेक्टर-62 नोएडा, जनपद गौतमबुद्धनगर ने दिनांक 31.08.2025 को थाना साइबर क्राइम नोएडा पर मु0अ0सं0 96/2025 धारा 308(2), 318(4), 319(2) बीएनएस एवं 66D आईटी एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कराया। जिसमें वादिया द्वारा तहरीर कराया कि अज्ञात साइबर अपराधियों ने स्वयं को पुलिस अधिकारी बताकर उस पर अवैध फंडिंग कराने का आरोप लगाकर तथा डिजिटल अरेस्ट कर फर्जी कागजात भेजते हुए गिरफ्तारी का भय दिखाकर वादिनी से ₹43,17,000/- रुपये विभिन्न खातों में ट्रांसफर कराकर धोखाधड़ी की गई। विवेचना के दौरान त्वरित कार्रवाई करते हुए धोखाधड़ी में प्रयुक्त बैंक खातों को तत्काल फ्रीज़ कराया गया।

पूछताछ का विवरण-- अभियुक्त से की गई पूछताछ में उसने बताया कि वह सीएसपी की दुकान चलाता है, जिसमें अपने करंट बैंक खाते के माध्यम से साइबर अपराध में लिप्त अपराधियों को कमीशन काटकर नकद धनराशि बैंक से निकालकर उपलब्ध कराता है। इसी क्रम में अभियुक्त के बैंक खाते में उक्त अपराध की ₹7,80,000 की राशि प्राप्त होना पाया गया, जिसे अभियुक्त ने स्वयं बैंक में उपस्थित अन्य सहअभियुक्तों की सहायता से निकाल लिया। अभियुक्त के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है तथा घटना में संलिप्त अन्य अभियुक्तों के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण--

मदन कुमार पुत्र हनुमान प्रसाद निवासी बीआरपी, सूरतगढ़, हनुमानगढ़ (राजस्थान), उम्र- 32 वर्ष, शिक्षा- 12वीं पास।

बरामदगी का विवरण--

02 मोबाइल फोन

नोट : साइबर जागरूकता हेतु सुझाव बिन्दु–

1. किसी भी अज्ञात व्यक्ति द्वारा WhatsApp Call अथवा Video Call के माध्यम से पुलिस की वर्दी पहनकर किए गए कॉल पर विश्वास करने से पूर्व, उस मोबाइल नंबर तथा बताए गए नाम और पद को

Google Search अथवा सम्बन्धित विभाग की Website पर उपलब्ध अधिकारियों की जानकारी व उनकी तैनाती स्थल की जाँच-पड़ताल अवश्य करें।

2. प्राप्त WhatsApp Call अथवा Video Call से संबंधित किसी भी जानकारी को साझा करने से पूर्व, उस मोबाइल नंबर की जानकारी निकटवर्ती Cyber Cell अथवा सम्बन्धित विभाग जैसे Narcotics, FedEx Courier, CBI आदि संस्थानों के Help Desk से अवश्य सत्यापित करें।
3. यदि आपके द्वारा कोई पार्सल नहीं भेजा गया है और कॉल करने वाला यह कहे कि एक पार्सल मिला है जिसमें आपका आधार कार्ड या मोबाइल नंबर पाया गया है, तो ऐसे कॉल पर विश्वास न करें। यह कॉल किसी साइबर अपराधी का हो सकता है। यदि विधिक/कानूनी कार्रवाई की धमकी दी जाए तो घबराएँ नहीं, बल्कि तत्काल इसकी सूचना सम्बन्धित अथवा निकटवर्ती थाने में दें।
4. यदि आपके आधार आईडी अथवा नाम से किसी बैंक खाते के खोले जाने की बात कही जाए तो तत्काल नज़दीकी बैंक जाकर जानकारी प्राप्त करें और उस खाते को ब्लॉक/बन्द कराने की कार्रवाई करें।
5. यदि WhatsApp Call अथवा Video Call द्वारा आपके खाते में हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग से संबंधित धनराशि आने की बात कही जाए तो ऐसे कॉल पर बिल्कुल भी विश्वास न करें, क्योंकि कोई भी सरकारी संस्था हवाला अथवा मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों की जानकारी दूरभाष पर उपलब्ध नहीं कराती है।
6. यदि WhatsApp Call अथवा Video Call द्वारा आपके खाते की जाँच के उपरान्त किसी Police Clearance Certificate की बात कही जाए तो यह निश्चित रूप से साइबर अपराधियों का षड्यंत्र है। वे आपको गुमराह कर आपके बैंक खाते में मौजूद धनराशि को अपने खाते में ट्रांसफर कर सकते हैं।
7. यदि किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा WhatsApp Call अथवा Video Call कर आपको डराया या धमकाया जाए, तो इस विषय में अपने घर के अन्य सदस्यों अथवा रिश्तेदारों को भी अवश्य सूचित करें।